न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2546–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–4–15 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 बिलखिरिया तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 14/अ–12/14–15.

रमेश यादव आत्मज तोरन सिंह यादव
ग्राम कल्याणपुर
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

सौरभ सिंघई आत्मज विमल सिंघई
निवासी बड़ा बाजार सागर
हाल मुकाम पदभनाभ नगर सुभाष नगर के पास
भोपाल द्वारा मुख्त्यारआमखास
सनत कुमार पटेल आत्मज सुखराम पटेल
निवासी क्वार्टर नम्बर 1 दीपशिखा स्कूल कैम्पस
साउथ टी.टी. नगर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री बी.एम. मीणा, अभिभाषक, आवेदिका
श्री राकेश गिरी, अभिषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/1/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 बिलखिरिया तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–4–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक, भोपाल के समक्ष ग्राम कल्याणपुर स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 94/7/1 रकबा 0.610 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 14/अ–12/14–15 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर दिनांक 10–4–15 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक द्वारा मेड़ पड़ौसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का पीढ़ी–दर–पीढ़ी कब्जा रहा है, इसलिए वह हितबद्ध पक्षकार था, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन में उसे सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि उसे सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त होना चाहिए था । उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक का आदेश निरसत किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि के न तो भूमिस्वामी है, और न ही पड़ौसी कृषक है, इसलिए उसे सूचना दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से प्रश्नाधीन भूमियों के स्वत्व के संबंध में कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, और कब्जा के आधार पर वह हितबद्ध पक्षकार नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश विधिवत होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जा है, और उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर उसका स्वत्व होना प्रमाणित नहीं किया गया है । तर्क के दौरान आवेदक की ओर से सीमांकन में क्या अवैधानिकता हुई है, इसे भी स्पष्ट नहीं किया जा सका है । चूंकि प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम दर्ज नहीं है, इसलिए सीमांकन में उसे सूचना दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 बिलखिरिया तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–4–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर